

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

//सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक/3491/भू-अर्जन/149/2020

धमतरी दिनांक 05/08/2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "नवापारा बुढ़ेनी परसवानी मगरलोड मोंहदी बोरसी भोयना मार्ग के चौड़ीकरण" हेतु ग्राम-बुढ़ेनी, पटवारी प.ह.नं.-01, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग रायपुर लो.नि.वि. रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण				
भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5
शांतिबाई पिता जुगुराम, पुनिया बेवा जुगुराम	203	0.19	0.0040	कलेक्टर जिला धमतरी
विष्णु पिता पुनीत	252	0.44	0.0160	
तिरथराम पिता थनवार	206	0.20	0.0040	
माखनलाल, यशकुमार पिता दयालु	248	0.27	0.0080	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर

जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 3492 /भू-अर्जन/149/2020
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 05/08/2021

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार मगरलोड, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर

जिला धमतरी